न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सिंवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 16/2020

GCMS NO. : ~~2016~~/00035 2020

–:: वादीया::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

वादीया:

1. सन्तोष देवी(अवस्यक) पुत्री लुणाराम, जाति– जाट, निवासी– केकीन्दड़ा, तहसील– जैतारण अवस्यक व विकृत जरिये वादीया संरक्षक मामा चेनाराम पुत्र बक्साराम, जाति– जाट, निवासी– जसवंताबाद, तहसील– मेड़ता सिटी,(रियां बड़ी) परिवर्तित जिला– नागौर, राज0।

प्रतिवादीगण:

1. गेकूदेवी बेवा खूमाराम(फौत) के कायम मुकाम (1/1) सन्तोष देवी(अवस्यक) पुत्री लुणाराम, जाति– जाट, निवासी–केकीन्दड़ा, तहसील– जैतारण, अवस्यक व विकृत जरिये वादीया संरक्षक मामा चेनाराम पुत्र बक्साराम, जाति– जाट, निवासी– जसवंताबाद, तहसील– मेड़ता सिटी,(रियां बड़ी) परिवर्तित जिला– नागौर, राज0।
2. रामचन्द्र पुत्र अमराराम चौधरी निवासी– 421 सोकत नगर, हाउसिंग बोर्ड ब्यावर राज0 (305901)
3. शिवकरण पुत्र अमराराम
4. रामकरण पुत्र अमराराम
5. देवकरण पुत्र अमराराम
6. दाखू बेवा अमराराम
7. तहसीलदार, तहसील– जैतारण।
8. पटवारी, पटवार हल्का केकीन्दड़ा।
9. तिजणी देवी पत्नी गणेशराम जाट, निवासी– केकीन्दड़ा, तहसील– जैतारण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151सी.पी.सी

तारीख रजू:. 08/06/2020

उपस्थितः–

1.श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2.श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/03/2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2021.06.15 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 02 रामचन्द्र पुत्र अमराराम चौधरी निवासी– 421 सोकत नगर, हाउसिंग बोर्ड ब्यावर राज0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर बताया कि सरहद मौजा केकीन्दड़ा, पटवार हल्का केकीन्दड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली में अधोलिखित आराजी अवस्थित है।

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	185	04–0 बीघा	चा.सो.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

2.	186	00-09 बीघा	गै0मु0बेरा
3.	187	04-05 बीघा	चा.सो.
4.	214	04-11 बीघा	चा.सो.
5.	264	01-14 बीघा	चा.सो.
6.	597	09-07 बीघा	से.दो.
7.	690	03-01 बीघा	बा.दो.
8.	729	16-06 बीघा	बा.दो.
9.	768	10-10 बीघा	बा.दो.
10.	769	09-13 बीघा	बा.अ.
11.	776	06-07 बीघा	से.दो.
योग	11	70-12 बीघा	

जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 का हक व हित निहित है व मौके पर काबिज है। इस प्रार्थना के साथ परिसीमा काल की संगणना हेतु प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा Date of knowledge of Decree would be date on which certified copy of order was obtained dated 01st June 2020 से 30 दिन की परिसीमा में Limitation Act के अनुच्छेद 123 के अनुसार एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिये प्रमाणित प्रतियां पेश की है, जो इस दरख्वास्त का महत्वपूर्ण भाग है, अन्य धाराओं में (परिसीमा अधि. के तहत) प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। वादीयां द्वारा (Notice not duly Served As per Requirement of 05 rule-17) प्रतिवादी संख्या 02 दिनांक 31.03.2015 से पूर्व से ही ब्यावर में स्थाई रूप से निवास करता आ रहा है। जिसकी पुष्टि हेतू व्यापारिक लेटर पेड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, epic 14-03-2003, Driving licence no Rj36/DLC/10/41231 Date 12-11-2010, Registered vehicle Rj36SJ6012 व इनके पुत्र रामकिशोर व स्वयं की एक चारा पशु आहार ट्रेडिंग कम्पनी ब्यावर में प्रवर्तन में है। Indane L.P.G. में भी ब्यावर के पते की बारम्बारता है। सभी दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। जो प्रतिवादीगण संख्या 02 का स्थाई पता है। प्रतिवादी संख्या 02 को व्यक्तिगत रूप से बिना सुनवाई का अवसर दिये, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों व equity का नजर अन्दाज कर तामिल कुलिन्दा व वादीया के द्वारा मिली भगत से झूठी व फर्जी तामिल करवाई जो सवंहनीय नहीं है। गैरकानूनी है व व्यवहार प्रक्रिया कानून को घोर उल्लघंन है। इससे प्रतिवादी सं. 02 के न्यायिक हितों पर कुठाराघात हुआ है। जो Procedure तामिल कुनिन्दा द्वारा Adopt किया (Service of sammons by Affixation) जो Impair पूर्ण रूप से अशुद्ध, अन्याय पूर्ण है। इसी Basis Judgement & Decree पारित [illegible] Set-ASIDE करने हेतु प्रतिवादी संख्या 02 ने माननीय न्यायालय [illegible] किया है। जो स्वीकार फरमावें। वादीया संरक्षक द्वारा [illegible] पेश किया [illegible] डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में मौका फर्द के दौरान अनुपस्थित रह कर [illegible] के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़नें के आधार पर भी डिक्री अपास्त होनें योग्य है। जो न्यायालय की पत्रावली (Face of the Record) है। Final Decree के Execution में भी प्रतिवादी संख्या 02 को नोटिस नहीं दिया गया है। कमीयां वक्त बहस अरज की जायेगी। बलिहाजा दरख्वास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

मय शपथपत्र मय दस्तावेज पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादी संख्या 02 को Substatial Justice हेतु सुनवाई का अवसर देकर निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2016 मु.नं. 123/14 सहायक कलक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायहित Natural Justice & Equity में के सिद्धांतों के आधार पर Exparte Set-aside करने का हुक्म फरमावें व जवाब और आगामी कार्यवाही हेतु अवसर दिलानें का हुक्म फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 09 तिजणीदेवी की और से निम्नलिखित हैः- प्रार्थना पत्र पद संख्या 1 में दर्ज कथन सही है, उक्त पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में जवाब देहन्दा के हक हिस्से में खसरा नम्बर 690 रकबा 1-07 बीघा, खसरा नम्बर 729 रकबा 16-06 बीघा कुल रकबा 17-13 बीघा है। माफिक रकबा के प्रार्थना पत्र के देहन्दा का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कथनों का जबाब है कि प्रार्थना पत्र देहन्दा में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी प्रथम बार वाद डिक्री होने की जानकारी कैसे हुई के कथन अंकित नहीं है। केवल मात्र प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के आधार पर एक प्रार्थना पत्र डिक्री मन्सुख करने का पोषणीय नही है, क्योंकि प्रार्थना पत्र देहन्दा को वाद पत्र डिक्री होने की पूर्ण जानकारी थी व पूर्व में भी वाद की कार्यवाही की जानकारी थी अब वाद पत्र डिक्री होने के 4 साल बाद एकपक्षीय डिक्री अप्रास्त करने का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा न ही प्रार्थना पत्र देहन्दा नें समय माफी बाबत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पद संख्या 3 में दर्ज कथनों का जवाब है कि प्रार्थना पत्र देहन्दा ने बहुत ही क्लेवर ड्राफ्टिग के आधार पर उक्त कथनों का समावेश किया है क्योंकि समन/नोटिस के तामिल होने की प्रक्रिया में स्पष्ट है कि सामलाती परिवार के व्यवस्क व्यक्ति द्वारा नोटिस प्राप्त करने पर कानूनन तामिल सम्यक है। तामिल क्रेता देवकरण प्रार्थना पत्र देहन्दा का सगा भाई हैं, जिसनें तामिल की है। जिसे सम्यक व समुचित तामिल मानकर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां न्यायालय को समाधान हो जाता है की प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था जहां एकपक्षीय डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नही किया जा सकता है कि समन तामिल में अनियमियता हुई थी इस प्रकार प्रतिवादीगण सगे भाई है, तामिल कर्ता सगा भाई है, सूचना देना नही भी मना जावें, तो भी उसे परिवार रिश्तेदार, भूमि, समाज के सम्बन्ध में होने वाली सभी कार्यवाही की सूचना मिलना प्राकृतिक है, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थना पत्र देहन्दा कितने वर्षा से या दौराने वाद कभी भी गांव आया ही नहीं या भाईयों अथवा भूमि के बोने के सम्बन्ध में पूछताछ भी नहीं की है अब केवल जमीनों के दाम बढ़नें व तंग परेशान करने की नियत से एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने बाबत् चार वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कानुनन पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त भी डिक्री वाद बंटवाड़े का है, जिसमें किसी खातेदार के हक अधिकार तय नही होते हैं व नहीं अधिकारों का हनन होता है। केवल भूमि के विभाजन का वाद है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

इस कारण भी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र पद संख्या 4 में दर्ज कथनों का जबाब है कि वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही व डिक्री की पालना नियमानुसार की जाकर पालना की गई है। अब यह कथन एवं ऐतराज संवहनीय नही है क्योंकि जानकारी होते हुवे भी प्रार्थना पत्र में उक्त ऐतराज व कथन नही किये न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्रकिया अपनाकर अमल में लाई जाकर राज्य सरकार द्वारा चलायें गये प्रशासन गाँवो के संग अभियान में मजमें–आम कैंप में उक्त वाद को निर्णीत किया गया, जहाँ पर केम्प के पूर्व सभी पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित कर वाद डिक्री करने का आदेश पारित किया गया। इस कारण से अब प्रार्थना पत्र आदेश 9 निमय 13 सीपीसी का पोषणीय नही हैं। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र मे दर्ज कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र देहन्दा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया, अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 की और से अपने समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की जिनसे हमनें प्रकरण के सम्यक निस्तारण में मार्गदर्शन प्राप्त कियाः–

01. Ramlal & Ors Versus Nandlal(dead) & Ors (RLW 2013(1)Rj21)

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी संख्या की और से अपने समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की गई :– 01. RBJ 2014 P- 415 & 732 (HC)

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनते हुये उस पर मनन किया, विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें का ससम्मान अध्ययन करते हुये प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में मार्गदर्शन प्राप्त किया।

आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निम्नानुसार विधिक प्रावधान हैः– ***"13. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करनें के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वाद की सुनवाई के लिए पुकार होनें पर उपसंजात होनें से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करनें के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाएं, और वाद में आगे कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा;***

परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के वि... अपास्त नहीं की जा सकती है वहां व अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होनें के लिए और दावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenrer
Date: 2021.06.15 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

का उत्तर देनें के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।''

मूल वाद की आदेशिका दिनांक 30.09.2014 के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि प्रतिवादी संख्या 2 के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वाद दिनांक 10.06.2014 को दर्ज होकर दिनांक 16.02.2007 को निर्णित हुआ। प्रार्थी द्वारा करीब 06 वर्ष पश्चात् उसके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करनें बाबत् निवेदन किया है, जबकि 04 वर्ष पूर्व वाद पत्र निर्णीत होकर डिक्री जारी की जा चुकी है। विलंब के कारण के रूप में यह अंकित किया है ''.....जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या को दिनांक 01.06.2020 को उपखण्ड कार्यालय से प्रमाणित नकल प्राप्त करनें पर हुई।' अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर उसे सुनवाई का अवसर देनें के लिए एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की जावें।''

आदेश 09 नियम 13 के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री को उसी दशा में अपास्त की जा सकती है, जबकि किसी प्रतिवादी के विरुद्ध सम्मन की तामील सम्यक् रूप से नहीं हुई हों या वह युक्तियुक्त कारणों से उपसंजात होनें में असमर्थ रहा हो। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रतिवादी/प्रार्थी पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से हुई थी। प्रार्थी द्वारा अनुपस्थिति बाबत् कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित ही नहीं किया है। केवल यह कथन करना कि ''उसे दिनांक 01.06.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनें पर जानकारी हुई थी'' कोई युक्तियुक्त कारण नहीं हो सकता है तथा एकपक्षीय कार्यवाही आदेश एवं डिक्री पारित किए जानें के दीर्घकाल पश्चात बिना किसी ठोस, विश्वसनीय एवं युक्तियुक्त कारण के डिक्री को अपास्त करना हमारे विनम्र अभिमत में उचित, न्यायसंगत और विधिसम्मत नहीं होगा, साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत वाद सहखातेदारी आराजी के कानूनन बंटवाड़े से सम्बन्धित था, जो डिक्री होकर मौके पर पालना की जा चुकी हैं, जिसमें प्रार्थी का हित भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 09, नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहित बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)